जाए आदेश वास्ते हेतु 01/12/25 को पेश हो

1/12/25

पत्रावली पेश। पक्षकार वादी उपस्थित वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली पर दर्ज सुधार के तहसील से अमल के पत्रावली निस्तारित होकर रिकार्ड दाखिल हो

सहायक कलक्टर (का०द्वि०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर (का०द्वि०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
185 / 2022	23.09.2022	09.12.2025

बउनवान

1. जगविन्दर यादव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 173 फस्ट फलोर सैक्टर 10 गुरूग्राम हरि0।

:— वादी

बनाम

1. अनोखी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
2. बुधा पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
3. भगवती देवी पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
4. रमजू पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
5. सपना पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
6. सुभाषचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
7. सरोज पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
8. होशियार
9. राधे
10. संजू पुत्रान रामप्रसाद
11. कृष्णा
12. सन्तोष पुत्रान रामप्रसाद
13. रामप्रसाद पुत्र रामप्रसाद जातियान अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
14. कमला पुत्री सगरू जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
15. बसन्ती पुत्री सगरू जाति अहीर निवासी हाल खातनखेडा तह0 बहरोड जिला अलवर राज0।
16. अमरसिंह पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
17. सतीश पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
18. देशराज पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
19. दलीप पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

सहायक कलक्टर (न्यायालय)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

20. सत्यवीत पुत्री लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर
21. बीरमती पुत्री लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर
22. प्रबंधक बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर
23. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर
24. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री श्रीपाल चौधरी :– वकील वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि हाल ख0न0 361 रकबा 0.18 है0, ख0न0 514 रकबा 0.10 है0, का 3/4 भाग व ख0न0 526 रकबा 0.33 है0, का 28/33 भाग दर 1/4 भाग वाके ग्राम भीवाडा तह० मुण्डावर में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट सम्वत 2072 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख०न० 382 रकबा 0.18 है0, से हाल ख0न0 361 रकबा 0.18 है0, व ख०न० 387 रकबा 0.10 है0, से हाल ख०न० 514 रकबा 0.10 है0, व ख०न० 370 रकबा 0.33 है0, से हाल ख0न0 526 रकबा 0.33 है0, पैमूद किया गया है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0न0 361 रकबा 0.18 हैक्0, ख0न0 514 रकबा 0.10 हैक्०, का 3/4 भाग प्रतिवादी स० 1 ल० 7 के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है व ख0न0 526 रकबा 0.33 है0, का 28/33 भाग दर 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स0 2 बुधाराम के कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा मिन वादी ने प्रतिवादीगण स० 1 ल० 7 से उनके कब्जेकाश्त की आराजी जरियें रजि० बैयनामा दिनांक 2/7/2021 को बएवज प्रतिफल मय कब्जा खरीद कर लिया तथा वक्त खरीद से आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
4. यह है कि विवादित आराजी ख०न० 361 रकबा 0.18 हैक्०, ख०न० 514 रकबा 0.10 हैक्०, का 3/4 भाग के राजस्व रिकोंड में प्रतिवादी स० 1 ल० 7 के नाम के आगे प्रतिवादी स० 8 ल. 12 के पूर्वज अ.विव रामप्रसाद आदि खातेदारान मजकूर व प्रतिवादी स० 13 ल० 21 के पूर्वज के नाम काश्त ख्याली पुत्र ओमकार अहीर शिकमी साल 17 दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (न्याय०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

हो रहा है, जिस कारण मिन वादी के नाम बैयनामा का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पा रहा है, जबकी प्रतिवादी स० 8 ल० 12 के पूर्वज अ.विव रामप्रसाद आदि मजकूर व प्रतिवादी स० 13 ल० 21 के पूर्वज ख्याली पुत्र ओमकार का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही रहा है तथा ना ही काबिज काश्त है, मात्र राजस्व रिर्कोड में ख०न० 361 रकबा 0.18 हैक्०, ख0न0 514 रकबा 0.10 हैक्०, का 3/4 भाग में विक्रेता प्रतिवादी स० 1 ल० 7 के नाम के आगे खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अंकन दर्ज हो रहा है, इसलिए मिन वादी प्रतिवादी स० 1 ल० 7 व उनके नाम के आगे दर्ज प्रतिवादी स० 8 ल० 12 के पूर्वज अ.विव रामप्रसाद आदि मजकूर व प्रतिवादी स० 13 ल० 21 के पूर्वज ख्याली पुत्र हरदेवा के नाम के अंकन को मिन वादी हजफ कराकर, अपने आपकों विवादित आराजी का वैयनामा के आधार पर कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इंश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

5. यह है कि मिन वादी सदभावी केता है तथा मिन वादी ने मौके पर काबिज काश्तकार प्रतिवादी स० 1 ल० 7 से उनके कब्जेकाश्त की आराजी को जरियें रजिस्टेंड बैयनामा खरीद किया है तथा मिन वादी को राजस्व रिर्कोड में दर्ज अंकन की जानकारी नहीं रही है, लेकिन अब दिनांक 1/8/2022 को मिन वादी बैयनामा के आधार पर अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तो हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज करने से मना कर दिया, जिस पर मिन यादी को उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी है। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होती है।

6. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी की खरीदशुद्वा कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जिस आराजी ख0न0 361 रकबा 0.18 हैक्०, ख0न0 514 रकबा 0.10 हैक्०, का 3/4 भाग से राजस्व रिर्कोड में दर्ज प्रतिवादी स० 1 ल० 7 व उनके नाम आगे दर्ज प्रतिवादी स० 8 ल० 12 के पूर्वज अ.विव रामप्रसाद आदि मजकूर व प्रतिवादी सं० 13 ल० 21 के पूर्वज ख्याली पुत्र ओमकार अहीर का नाम हजफ कराकर, आराजी का स्वय को कब्जेकाश्त घोषित कराने का अधिकारी है, तथा उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नही है तथा आराजी मिन वादी की खरीदशुद्धा होने के कारण प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति बहक मिन वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आयद वो साबित है। इसलिए मिन वादी अपने हक व हकूकों की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि वाद में वर्णीत आराजी के राजस्व रिकॉड में बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के नाम रहन का अंकन हो रहा है, इसलिए बैंक को पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जावे कि मिन वादी को बैयनामा दिनांक 2/7/2021 के आधार पर हाल ख0न0 361 रकबा 0.18 हैक0, ख0न0 514 रकबा 0.10 हैक०, का 3/4 भाग व ख0न0 526 रकबा 0.33 हैक०, का 28/33 भाग दर 1/4 भाग वाके ग्राम भीवाडा तह० मुण्डावर का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, इसी प्रकार से मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज कर राजस्व रिर्कोड में दर्ज आराजी ख0न0 361 रकबा 0.18 हैक०, ख0न0 514 रकबा 0.10 हैक०, का 3/4 भाग वाके ग्राम भिवाडा में विक्रेता प्रतिवादी स० 1 ल० 7 व उनके नाम के आगे दर्ज प्रतिवादी स० 8 ल० 12 के पूर्वज अ.विव रामप्रसाद आदि मजकूर व प्रतिवादी स० 13 ल0 21 के पूर्वज ख्याली पुत्र ओमकार अहीर सा.देह शिकमी साल 17 के अंकन को हजफ कर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जावे

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने पीडब्लू–1 जगविन्दर यादव, पीडब्लू–2 लीलाराम के शपथ पत्र पेश किये, जो पत्रावली शामिल है। पीडब्लू –1 जगविन्दर ने दस्तावेजात पर प्रदर्श – 1 असल बैयनामा दिनांक 02.07.2021, प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 किता –2, प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षेत्रफल किता –2 अंकित कराये गये।

वादी पक्ष की बहस

वाद पत्र, शपथ–पत्रों एवं प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर वादी की ओर से निम्न बहस प्रस्तुत की जाती है –

1. कि विवादित आराजी खसरा नंबर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 514 रकबा 0.10 हैक्टेयर का 3/4 भाग तथा खसरा नंबर 526 रकबा 0.33 हैक्टेयर का

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

28/33 भाग है, जो कि ग्राम भीवाड़ा में स्थित है। इन खसरों का मिलान व पैमाइश वर्तमान सैटलमेंट में सही प्रकार से दर्शित है।

2. कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उक्त खसरों के वास्तविक काबिज–काश्तकार एवं खातेदार रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 बुधाराम से खसरा 526 का आवश्यक भाग काश्त में रहा है।
3. कि वादी ने दिनांक 02.07.2021 के विधि–सम्मत रजिस्टर्ड बैयाना–पत्र द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त आराजी मूल्य सहित व कब्जा सहित क्रय की है तथा खरीद के उपरांत से वादी शान्ति पूर्वक कब्जे में है। प्रदर्श–1 मूल बैयनामा, प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी एवं अन्य रिकॉर्ड इससे स्पष्ट प्रमाण हैं।
4. कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 8–12 एवं 13–21 के पूर्वजों के नाम शिकमी/ख्याली/खिलाफ मौका रूप में अंकित होना एक स्पष्ट राजस्व त्रुटि है। ये लोग न तो मौके पर काबिज रहे, न किसी भी समय खेती का दावा किया। यह मात्र खिलाफ कानून प्रकार का प्रविष्टि–दोष मात्र है।
5. कि उक्त गलत प्रविष्टियाँ वादी के नाम इन्तकाल दर्ज होने में बाधक हैं, इसलिए वादी धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपने कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकार की डिक्री इश्तकरारहक का अधिकारी है।
6. कि प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपरिवर्तनीय क्षतिकृतीनों तत्व वादी के पक्ष में है क्योंकि वादी खरीददार है, कब्जे में है, गलत प्रविष्टियों को सुधारे बिना उसका इन्तकाल संभव नहीं है।

न्यायालय का विवेचन

प्रस्तुत वाद पत्र, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं बहस का परीक्षण करने पर न्यायालय निम्न तथ्य स्थापित पाता है–

1. वादी द्वारा प्रदर्श–1 बैयनामा दिनांक 02.07.2021 विधिपूर्वक निष्पादित पाया गया, जिस पर विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1–7 के हस्ताक्षर तथा साक्षी मौजूद हैं। दस्तावेज की वैधता पर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं हुआ।
2. पूरे वाद में प्रतिवादीगण की तामील विधिवत की गई, किन्तु कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रतिवादीगण एक–पक्षीय कार्यवाही में चले गए।
3. पीडब्लू–1 जगविन्दर यादव व पीडब्लू–2 लीलाराम के शपथ–पत्र विश्वसनीय एवं अप्रतिवादित रहते हैं। दोनों गवाहों से यह सिद्ध है कि वादी खरीद के उपरांत से कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 8–12 एवं 13–21 के पूर्वज उक्त आराजी से संबंधित नहीं रहे।
4. प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी स. 2064 एवं प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षेत्रफल से यह सुस्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि वर्तमान सैटलमेंट में पैमाइश सही तरीके से की गई है तथा आराजी वही है जो बैयनामा में वर्णित है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (तिजारा-किशनगढ़)

5. कि रिकॉर्ड में दर्ज "ख्याली पुत्र ओमकार", "रामप्रसाद आदि" के नामों का कोई वास्तविक कब्जा या काश्त न सिद्ध हुआ, न ही उनकी ओर से कोई दावा प्रस्तुत किया गया।

अतः यह प्रविष्टि खिलाफ मौका/खिलाफ कानून प्रतीत होती है जिसे धारा 88, 89 में सुधार योग्य माना जाता है।

6. बैंक को पक्षकार बनाना भी उचित पाया गया क्योंकि रिकॉर्ड में रहन दर्ज है, परन्तु बैंक की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं आया।
7. न्यायालय यह भी पाता है कि वादी खरीददार है, कब्जे में है, गलत प्रविष्टियाँ उसके वैधानिक अधिकारों में बाधक हैं, इसलिए धारा 88, 89 एवं 188 के अंतर्गत डिक्री पारित करने में कोई बाधा नहीं है।

निर्णय

उपरोक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के परीक्षण उपरांत न्यायालय निम्न निर्णय प्रदान करता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी जगविन्दर यादव को बैयनामा दिनांक 02.07.2021 के आधार पर खसरा नं. 361 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 514 रकबा 0.10 है. का 3/4 भाग, खसरा नं. 526 रकबा 0.33 है0 का 28/33 भाग (दर 1/4 हिस्सा) स्थित ग्राम भीवाड़ा, तहसील मुण्डावर का कब्जेकाश्त, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 361, 514, 526 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1–7 व उनके नाम के आगे प्रतिवादी संख्या 8–12 के पूर्वज रामप्रसाद आदि व प्रतिवादी संख्या 13–21 के पूर्वज ख्याली पुत्र ओमकार का नाम को व शिकमी "अविवि" के प्रविष्टियाँ को कलमजन किया जाकर वादी के नाम अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा...)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
185/22	23.09.2022	09.12.2025

बउनवान

1. जगविन्दर यादव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 173 फस्ट फलोर सैक्टर 10 गुरूग्राम हरि0।

:– वादी

बनाम

1. अनोखी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
2. बुधा पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
3. भगवती देवी पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
4. रमजू पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
5. सपना पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
6. सुभाषचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
7. सरोज पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
8. होश्यिार
9. राधे
10. संजू पुत्रान रामप्रसाद
11. कृष्णा
12. सन्तोष पुत्रान रामप्रसाद
13. रामप्रसाद पुत्र रामप्रसाद जातियान अहीर निवासी भिवाडा तह0 मुण्डावर
14. कमला पुत्री सगरू जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
15. बसन्ती पुत्री सगरू जाति अहीर निवासी हाल खातनखेडा तह0 बहरोड जिला अलवर राज0।
16. अमरसिंह पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
17. सतीश पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
18. देशराज पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
19. दलीप पुत्र लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

20. सत्यवीत पुत्री लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर
21. बीरमती पुत्री लखमी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर
22. प्रबंधक बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर
23. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर
24. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इशतकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री श्रीपाल चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 09.12.2025** को **श्री सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिकी जारी की जाती है :–

वादी जगविन्दर यादव को बैयनामा दिनांक 02.07.2021 के आधार पर खसरा नं. 361 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 514 रकबा 0.10 है. का 3/4 भाग, खसरा नं. 526 रकबा 0.33 है0 का 28/33 भाग (दर 1/4 हिस्सा) स्थित ग्राम भीवाड़ा, तहसील मुण्डावर का कब्जेकाश्त, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 361, 514, 526 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1–7 व उनके नाम के आगे प्रतिवादी संख्या 8–12 के पूर्वज रामप्रसाद आदि व प्रतिवादी संख्या 13–21 के पूर्वज ख्याली पुत्र ओमकार का नाम को व शिकमी "अविवि" के प्रविष्टियाँ को कलमजन किया जाकर वादी के नाम अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0